जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
8/2016

Gen. No.

अपील भरण पोषण सं0 8/2016 अनवानी मूलीदेवी पत्नि श्री बिशनदास जाति नायक निवासी वार्ड न0 8 अकालगढ गुरूद्वारा रोड, शर्मा क्लिनिक के सामने, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर

बनाम 1–संतोष पत्नि स्व0 पूर्णचंद जाति नायक निवासी 69 एनपी तहसील रायसिंहनगर हाल वार्ड न0 8 अकालगढ गुरूद्वारा रोड, शर्मा क्लिनिक के सामने, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर

2–श्रवण कुमार पुत्र बिशनदास जाति नायक निवासी वार्ड न0 8 अकालगढ गुरूद्वारा रोड, शर्मा क्लिनिक के सामने, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

05.12.2016

अपीलार्थीया मूली देवी उपस्थित है। रेस्पोडेन्टस संतोष एवं श्रवणकुमार उपस्थित नही है। अपीलार्थीया ने फहरिस्त सूचि में अंकित अखबार कटिंग की फोटो प्रतियां पेश की जो शामील पत्रावली की गयी। अपीलार्थीया को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थीया मूली देवी द्वारा यह अपील उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 08.06.2016 की अप्रसन्नता से रेस्पोडेन्ट सं0 1 संतोष पत्नि स्व0 पूर्णचंद व रेस्पो0 सं0 2–श्रवणकुमार पुत्र बिशनदास के विरूद्ध धारा 16(1) माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत पेश की है जिसमें प्रार्थना की गयी है कि उसने उपखण्ड अधिकारी (अधिकरण) श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 23.05.2016 को एक प्रा0 पत्र अपनी पुत्रवधु संतोष व अपने पुत्र श्रवण कुमार के विरूद्ध पेश करके प्रार्थना की थी कि दोनो से 10,000रूपये भरण पोषण दिलवाया जावे और अप्रार्थीगण से उसका मकान खाली करवाया जावे। उपखण्ड अधिकारी (अधिकरण) श्रीगंगानगर द्वारा सुनवाई के पश्चात उक्त आदेश दिनांक 08.06.2016 के द्वारा अप्रार्थी सं0 2–श्रवणकुमार से 1000रूपये प्रतिमाह भरण पोषण के रूप में आदेश तिथि से ही दिलाने के आदेश दिये है और अप्रार्थीया संतोष जो कि पुत्रवधु है उसके खिलाफ भी मकान खाली करवाने का आदेश दिया गया था किन्तु बाद में दिनांक 08.06.2016 के आदेश में दिनांक 09.06.2016 के आदेश से संशोधन करके अप्रार्थी सं0 2–श्रवणकुमार को ही उक्त मकान को एक माह में छोडकर कब्जा प्रार्थीया को सौंपने का आदेश दिया गया है। इस प्रकार उक्त आदेश को केवल अप्रार्थी सं0 2 के विरूद्ध ही पढ़े जाने का आदेश दिया गया।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं0 2 श्रवणकुमार ने अपना लिखित जबाब दिनांक 24.08.2016 पेश किया और रेस्पो0 सं0 1–संतोष पत्नि स्व0 पूर्णचंद जो कि पुत्रवधु है, ने भी अपना लिखित जबाब दिनांक 30.08.16 पेश किया।

अपीलार्थीया को सुना गया। अपीलार्थीया की प्रार्थना है कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 08.06.2016 से अपीलांट का भरण पोषण 1000रूपया प्रतिमाह रेस्पो0 सं0 2 को अदा करने का आदेश दिये गये और उसका मकान जिसका पटटा सं0 32/1999 है पर से रेस्पों सं0 1 संतोष को व रेस्पो0 सं0 2 श्रवणकुमार को कब्जा हटाने का आदेश दिया गया। किन्तु बाद में प्रार्थीया को बिना सुने मकान खाली कराने का आदेश दिनांक 09.06.16 को संतोष के नाम से रद करके केवल रेस्पो0 सं0 2 श्रवणकुमार के नाम से ही पढ़ा जाने का आदेश दिया गया। उपखण्ड अधिकारी का आदेश कानून के खिलाफ है जो रद्द किया जावे और अपीलार्थीया को उसके मकान का संतोष से कब्जा दिलाया जावे। अपीलार्थीया ने आगे कहा कि उसके पुत्र ने तो मकान का कब्जा छोड दिया है किन्तु रेस्पो0 सं0 1 संतोष से भी उक्त मकान का कब्जा दिलवाया जावे और उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे। **उसका यह भी कथन है कि वह भरणपोषण का जो खर्चा बांधा गया है उसमें वह कोई बढोतरी नही चाहती है।**

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जिला कलैक्ट
श्रीगंगानगर
8/2016

रेस्पोडेन्टस आज उपस्थित नही है। इसलिए उनके द्वारा प्रस्तुत जबाब पर ही किया जाना आवश्यक है। रेस्पोडेन्ट संतोष के द्वारा अपने जबाब में अपील का विरोध करते हुए प्रार्थना की है कि वह स्वयं विधवा और पीड़िता है, इसलिए उक्त अधिनियम के तहत उसके विरूद्ध अपीलार्थीया कोई राहत प्राप्त नही कर सकती। रेस्पो0 संतोष ने अपने जबाब में यह भी प्रार्थना की है कि विवादित मकान पर उसने कोई कब्जा नही किया हुआ है जबकि उक्त मकान उसके पति द्वारा खरीद किया हुआ है और उसके पति के द्वारा ही मूलीदेवी के नाम करवाया गया था उक्त मकान के बिल भी उसके पति के नाम से आ रहे है उसके मकान के दो कमरो में से एक कमरे का कब्जा भी अपीलार्थीया के पास है। उसके पति का देहान्त हो चुका है, उसकी चार बच्चियां है जिनका पालन पोषण मजदूरी करके कर रही है। अपीलार्थीया ने उसे तंग और परेशान करने के लिए गलत तथ्यो के आधार पर ही यह अपील पेश की है, जो खारिज करने योग्य है।

रेस्पो0 संख्या 2 श्रवणकुमार ने अपने लिखित जबाब में कहा है कि उसके द्वारा मकान खाली कर दिया है और श्रीमान न्यायालय द्वारा भरणपोषण की राशि के संबंध में जो भी आदेश दिया जायेगा वह अपनी माता को अदा कर देगा। मकान पर केवल रेस्पो0 सं0 1 संतोष ने ही कब्जा कर रखा है।

मैने अपीलार्थीया की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेस्पोडेन्टस सं0 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत जबाबा एवं अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 08.06.2016 व 09.06.2016 का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थीया के प्रा0 पत्र पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.06.2016 को निम्न आदेश पारित किया गया है:–

> हमने प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र मय स्लंग्न दस्तावेजात एवं अप्रार्थीगण सं0 2 के जबाब का अवलोकन किया एवं दोनो पक्षो के सुना गया। प्रार्थीया उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पुत्रवधु से भरणपोषण की मांग नही कर सकती है। वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण अधिनियम 2007 की धारा 5 के अन्तर्गत अप्रार्थी सं0 2 प्रार्थीया की कोई सेवा नही करते है। प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर फोर्थ ब्लाक नया वार्ड न0 10 में 28 गुणा 36 फुट–112वर्गगज का प्लाट मूलीदेवी पत्नि बिश्नदास बाबा रामदेव मन्दिर के पास फोर्थ ब्लाक नया पुरानी आबादी श्रीगंगानगर मूलीदेवी के नाम से है। प्रार्थीया की उक्त सम्पति में अप्रार्थीगण किसी प्रकार से कोई दखल अन्दाजी नही करें तथा उसके नाम जो मकान है। प्रार्थीया की इच्छा वगैर उक्त मकान में नही रह सकते है। इसलिए अप्रार्थीगण उक्त मकान को एक माह में छोडकर अन्यत्र व्यवस्था करें तथा कब्जा प्रार्थीया को सौंपे। प्रार्थीया को अप्रार्थीगण किसी प्रकार से तंग परेशान नही करें। अप्रार्थी सं0 2 प्रार्थीया को आदेश की तिथि से 1000रूपये प्रति माह भरण पोषण राशि अदा करेगा। यह राशि उसे चैक/ड्राफट से अदा करता रहे। अगर अप्रार्थीगण किसी प्रकार से प्रार्थीया को तंग परेशान–मारपीठ करता है तो संबंधित थानाधिकारी पुलिस थाना नियमानुसार अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस्तगासा दायर करने की कार्यवाही करें। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना पुरानी आबादी श्रीगंगानगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। ह0(कैलाशचन्द्र शर्मा) उपखण्ड मजि0 श्रीगंगानगर।
>
> 09.06.16
>
> अप्रार्थीगण जहां लिखा गया है को अप्रार्थी सं0 2 पढ़ा जावे। इसी की पालना करे। इसी का निर्णय में संशोधन माना जावे। यह प्रति भी साथ में जावे। ह0 उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर।

जिला रजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जिला कलेक्ट
श्रीगंगानगर
8/2016

अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीया मूलीदेवी द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिनांक 23.05.2016 को पेश किया गया है जिसमें उसने अपनी पुत्रवधु संतोष पत्नि स्व0 पूर्णचंद व अपने पुत्र श्रवणकुमार पुत्र बिशनदास से 5000–5000रूपये भरणपोष की मांग की है और द्वितीय उसने दोनो से अपना मकान जिसका पट्टा न0 32/1999 है, को खाली करवाने की प्रार्थना की है। **इस मामले में यह देखा** जाना यह आवश्यक है कि संतोष पत्नि स्व0 पूर्णचंद जो कि अपीलार्थीया की **पुत्रवधु** है के विरूद्ध **अपीलार्थीया माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही कर सकती है अथवा नही? इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत माता पिता केवल अपनी संतान से ही भरणपोषण व अन्य राहत प्राप्त कर सकते है या अन्य किसी से भी? रेस्पों0 सं0 1 संतोष पत्नि स्व0 पूर्णचंद जो कि अपीलार्थीया की पुत्रवधु है। इस तथ्य को अपीलार्थीया ने भी अपने प्रा0 पत्र में रेस्पो0 सं0 1 संतोष को पुत्रवधु होना स्वीकार कर रखा है तो क्या पुत्रवधु संतान की परिभाषा में सम्मिलित है अथवा नही?**

इस अधिनियम की धारा 2 में संतान की परिभाषा निम्न प्रकार से दी गई है:–

2(क) "सन्तान" के अन्तर्गत पुत्र, पुत्री, पोत्र और पौत्री सम्मिलित है किन्तु अव्यस्क सम्मिलित नही है।

अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत माता पिता अपनी संतान से ही भरण पोषण की मांग कर सकते है। इसलिए उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपने आदेश दिनांक 08.06.16 व 09.06.16 में जहां अप्रार्थीगण शब्द था उसे अप्रार्थी सं0 2 तक संशोधित किया है क्योंथ्क अप्रार्थी सं0 1 संतोष अपीलार्थीया की पुत्रवधु है और चूंकि पुत्रवधु धारा 2(क) के अनुसार संतान की श्रेणी में नही आती है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.06.2016 को किया गया संशोधन अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार सही है। **चूंकि रेस्पा0 सं0 1 (अप्रार्थी सं0 1) संतोष, अपीलार्थीया की पुत्रवधु है जो संतान की परिभाषा में नही आती। इसलिए उक्त अधिनियम के तहत उसके विरूद्ध किसी प्रकार का भरणपोषण का या अन्य कोई आदेश गुण दोष के आधार पर पारित नही किया जा सकता। इसलिए रेस्पों0 1 संतोष की हद तक अपील अस्वीकार करने योग्य है।**

जहां तक रेस्पां0 सं0 2 श्रवणकुमार से अपीलार्थीया का मकान खाली करवाने व भरण पोषण की राशि बढोतरी का प्रश्न है, अपीलार्थीया ने बहस के दौरान यह स्वीकार किया है कि उसके पुत्र श्रवणकुमार ने मकान खाली कर दिया है और उसके पुत्र रेस्पों0 2 श्रवणकुमार ने अपने जबाब में भी मकान खाली करना स्वीकार किया है। इसलिए रेस्पो0 2 **श्रवण कुमार के विरूद्ध भी कोई आदेश दिये जाने का ओचित्य नही है।**

उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीया की अपील खारिज की जाती है। चूंकि अपीलार्थीया ने यह प्रार्थना की है कि **उसे रेस्पों0 1 संतोष तंग व परेशान करती है और उसको मकान से बेदखल कर रखा है तो इसके लिए अपीलार्थीया को जिला पुलिस अधिक्षक, श्रीगंगानगर के समक्ष चाराजोही करनी चाहिए** और जिला पुलिस अधिक्षक को भी इस आदेश की प्रति दी जावे कि **अगर अपीलार्थीया उनसे कोई प्रार्थना करती है तो उस पर जांच कर नियमानुसार उचित कार्यवाही करें।** आदेश की एक–एक प्रति संबंधित पक्षकारो को व जिला पुलिस अधिक्षक, श्रीगंगानगर को भेजी जावे। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड आदेश की प्रति सहित पालनार्थ लौटाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.12.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञान राम)

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर